भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1319
(जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवंबर, 2019/04 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट सामाजिक दायित्व पुरस्कार

1319. श्रीमती संध्या रायः
श्री सुब्रत पाठकः
श्री रेबती त्रिपुराः
श्री जी॰ सेल्वमः
श्री धनुष एम॰ कुमारः
श्री विजय कुमार दुबेः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा प्रयुक्त तथा अप्रयुक्त धनराशि और उनके द्वारा शुरू किए गए प्रमुख कार्यकलापों/ कार्यक्रमों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार सीएसआर के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किए गए कार्य से संतुष्ट है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या सरकार ने चयनित कंपनियों को प्रथम कारपोरेट सामाजिक दायित्व पुरस्कार प्रदान किए है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह पुरस्कार किस उद्देश्य से प्रदान किए गए हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा इस पुरस्कार हेतु कंपनियों के चयन के लिए क्या मापदंड तय किए गए हैं और ये पुरस्कार किन-किन श्रेणियों के लिए प्रदान किए गए थे?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में की गई फाइलिंग के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा व्यय किए गए कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

जारी...2/-

फाइलिंग का वर्ष						
	2015-16		2016-17		2017-18	
कंपनी का प्रकार	कंपनियों की संख्या	कुल व्ययित राशि (करोड़ रु में)	कंपनियों की संख्या	कुल व्ययित राशि (करोड़ रु में)	कंपनियों की संख्या	कुल व्ययित राशि (करोड़ रु में)
पीएसयू	532	4,214.67	546	3,295.98	527	2,553.36
निजी	17758	10,302.52	18993	11,033.55	20870	11,067.15
कुल	18290	14,517.19	19539	14,329.53	21397	13,620.51

(दिनांक 30.06.2019 तक की स्थिति के अनुसार डाटा) [स्रोतः राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]

वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान कंपनियों द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय का ब्यौरा संलग्न है।

सीएसआर बोर्ड द्वारा संचालित प्रक्रिया है और कंपनी बोर्ड को सीएसआर समिति की सिफारिशों पर विचार करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की **अनुसूची-VII** के अनुसार किए जाने वाले कार्यकलापों का निर्णय लेने का अधिकार है। संपूर्ण सीएसआर संरचना प्रकटीकरण पर आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों के लिए वार्षिक रूप से एमसीए-21 रजिस्ट्री में सीएसआर कार्यों का विवरण फाइल करना अपेक्षित है। जब भी सीएसआर उपबंधों के उल्लंघन की कोई सूचना प्राप्त होती है, अभिलेखों की उचित रूप से जांच के बाद, समुचित विधि प्रक्रिया अपनाते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार ऐसी गैर-अनुपालक कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ): जी, हां। प्रथम राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 29 अक्तूबर, 2019 को प्रदान किए गए। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सीएसआर में कारपोरेट पहलों और उत्कृष्टता को पहचान देने और कंपनियों को अपनी पात्र सीएसआर धनराशि व्यय करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार संस्थित किए हैं।

राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार के लिए कंपनियों से केंद्रीय और राज्य सरकारें, व्यावसायिक संस्थान और ट्रेड परिसंघ तथा उद्योग चैम्बर जैसे नामांकित अभिकरणों से प्राप्त हुए। प्राप्त नामांकनों को चार संस्थानों अर्थात् भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल (आईआईएफएम), ग्रामीण प्रबंधन आणंद संस्थान (आईआरएमए), टाटा समाजशास्त्र संस्थान, मुम्बई (टीआईएसएस) और दिल्ली सामाजिक कार्य विद्यालय (डीएसएसडब्ल्यू) की विशेषज्ञ समिति के सदस्यों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार संवीक्षा की गई। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर, चुने गए विजेताओं और तीन पुरस्कार श्रेणियों के माननीय महानुभावों अर्थात् सीएसआर में उत्कृष्टता हेतु कारपोरेट पुरस्कार, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सीएसआर और राष्ट्रीय प्राथमिकता क्षेत्रों में योगदान के आधार पर राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कारों के लिए ग्रांड ज्यूरी गठित की गई।

****

अनुलग्नक

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1319 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**वित्तीय वर्ष 2015-16**	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2017-18**
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.55	0.83	0.76
आन्ध्र प्रदेश	1,294.28	753.53	269.11
अरुणाचल प्रदेश	1.48	24.05	11.94
असम	164.60	269.92	86.23
बिहार	124.62	100.77	42.17
चंडीगढ़	5.34	21.99	20.51
छत्तीसगढ़	241.16	84.94	71.61
दादरा एवं नागर हवेली	12.03	7.58	6.93
दमन एवं दीव	2.43	2.63	20.09
दिल्ली	493.34	520.66	540.79
गोवा	30.15	37.89	53.34
गुजरात	551.43	870.84	768.96
हरियाणा	375.62	389.60	262.02
हिमाचल प्रदेश	52.29	24.03	60.53
जम्मू और कश्मीर	107.81	42.74	14.75
झारखंड	117.04	95.69	45.88
कर्नाटक	784.66	886.36	950.92
केरल	148.12	135.47	158.06
लक्षद्वीप	0.30	-	2.07
मध्य प्रदेश	185.51	286.60	147.43
महाराष्ट्र	2,052.23	2,487.94	2,527.04
मणिपुर	6.28	12.35	4.03
मेघालय	5.59	10.97	5.49
मिजोरम	1.07	0.08	0.23
नागालैंड	0.96	0.92	0.36
ओडिशा	624.05	316.71	469.34
पुद्दुचेरी	6.46	7.43	6.51
पंजाब	69.93	75.83	88.51
राजस्थान	501.45	327.15	263.33
सिक्किम	1.98	6.83	6.84
तमिलनाडु	633.24	550.94	619.42
तेलंगाना	265.40	259.88	291.14
त्रिपुरा	1.47	1.25	1.83
उत्तर प्रदेश	423.79	327.48	298.40
उत्तराखंड	73.17	101.52	82.51
पश्चिम बंगाल	415.42	290.34	280.25
एनईसी/उल्लिखित नहीं	**-**	**7.63**	**132.04**
समस्त भारत*	**4,741.19**	**4,988.17**	**5,009.16**
कुल योग	**14,517.19**	**14,329.53**	**13,620.51**

(दिनांक 30.06.2019 तक की स्थिति के अनुसार डाटा) **[स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]**

*कपनियों ने या तो राज्यों के नाम विनिर्दिष्ट नहीं किए हैं अथवा एक से अधिक राज्य जिसमें परियोजनाएं की गई हैं, चिन्हित किए हैं।